

भाग-III

हरियाणा सरकार

सहकारिता विभाग

अधिसूचना

दिनांक 7 दिसम्बर, 2017

संख्या सांका०नि० 21/संवि०/अनु० 309/2017 - भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा राज्य सहकारिता गुप ग (कार्यपालक) सेवा नियम, 1980 को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. ये नियम हरियाणा राज्य सहकारिता गुप ग (कार्यपालक) सेवा (संशोधन) नियम, 2017, कहे जा सकते हैं।
2. हरियाणा राज्य सहकारिता गुप ग (कार्यपालक) सेवा नियम, 1980 (जिन्हें, इसमें, इसके बाद, उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 5 में, "चालीस" शब्द के स्थान पर, "बयालीस" शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा।
3. उक्त नियमों में, नियम 5 के बाद, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

5(क) ऊपरी आयु सीमा-

(1) बयालीस वर्ष की ऊपरी आयु सीमा निम्नलिखित किसी से सम्बंधित व्यक्ति की दशा में, पांच वर्ष तक बढ़ाई जाएगी:-

- (i) अनुसूचित जातियां/अनुसूचित जनजातियां;
- (ii) पिछड़े वर्ग;
- (iii) उन सेना कार्मिकों की पत्नियां जो सेना सेवा के दौरान अशक्त हो गए हैं;
- (iv) विधवा या विधिक रूप से तलाकशुदा महिलाएं;
- (v) अन्य प्रवर्गों के उम्मीदवारों हेतु आयु के प्रयोजन के लिए यथा विहित तिथि से दो वर्ष से अधिक के लिए पृथक् रूप से रहने वाली न्यायिक रूप में पृथक् महिलाएं।

(2) किसी सेवा या पद पर नियुक्ति हेतु विहित उपरी आयु सीमा में तीन वर्ष जोड़ते हुए उसकी सेना सेवा की सीमा तक, भूतपूर्व सैनिकों के पक्ष में छूट दी जाएगी यदि:-

- (i) उसने अपनी निर्मुक्ति से पूर्व कम से कम छह मास की अवधि के लिए लगातार सेना सेवा की है; तथा
- (ii) वह कदाचार या अयोग्यता के कारण पदच्युति या सेवामुक्ति के रूप से अन्यथा निर्मुक्त किया गया था।

(3) असाधारण रूप से योग्य व्यक्ति जैसे बहरे, गूंगे, अन्धे तथा विज्ञान रूप में विकलांगों को पद, जिस पर वे उपयुक्त रूप से नियोजित किए जा सकते हैं, पर सीधी भर्ती हेतु विहित ऊपरी आयु सीमा से अधिक दस वर्ष की आयु की छूट दी जाएगी।

नवराज संधू
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
सहकारिता विभाग।

[Authorized English Translation]

HARYANA GOVERNMENT
COOPERATION DEPARTMENT

Notification

The 7th December, 2017

No. G.S.R. 21/Const./Art 309/2017.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Haryana hereby makes the following rules to further amend the Haryana Cooperation Department Group C (Executive) Service Rules, 1980, namely:-

1. These rules may be called the Haryana Cooperation Department Group C (Executive) Service (Amendment) Rules, 2017.

2. In the Haryana Cooperation Department Group C (Executive) Service Rules, 1980 (hereinafter called the said rules), in rule 5, for the words “forty” the words “forty two” shall be substituted.

3. In the said rules, after rule 5, the following rule shall be inserted, namely:-

“5A. Upper age limit.-

- (1) The upper age limit of forty two years shall be extended by five years in the case of person belonging to any of the following :-
 - (i) Scheduled Castes/Scheduled Tribes;
 - (ii) Backward Classes;
 - (iii) Wives of military personnel who are disabled while in military service;
 - (iv) Widowed or legally divorced women;
 - (v) Judicially separated women residing separately for more than two years from the date as prescribed for the purpose of age for candidates of other categories.
- (2) The upper age limit prescribed for appointment to any service or post shall be relaxed in favour of ex-serviceman to the extent of his military service added by three years provided;
 - (i) he has rendered continuous military service for a period of not less than six months before his release; and
 - (ii) he was released otherwise than by way of dismissal or discharge on account of misconduct or inefficiency.
- (3) The differently abled persons, viz. deaf, dumb, blind and orthopedically handicapped, shall be given age concession of ten years over and above the upper age limit prescribed for direct recruitment to the post against which they may suitably be employed.

NAVRAJ SANDHU,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Cooperation Department.